

### असाधारण

## **EXTRAORDINARY**

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित

# PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3181] No. 3181] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 26, 2019/आश्विन 4, 1941 NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 26, 2019/ASVINA 4, 1941

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(विदेश व्यापार महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 सितम्बर, 2019

सं. 20/2015-2020

विषयः इलेक्ट्रानिक सिगरेट की आयात नीति में संशोधन।

का.आ. 3492(अ.).—समय—समय पर यथासंशोधित विदेश व्यापार नीति, 2015—2020 के पैरा 1.02 और 2.01 के साथ पठित विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्द्वारा एचएस कोडः 8543 के तहत और आयात नीति से संबंधित सामान्य टिप्पणी के पैरा 13 के तहत और आईटीसी (एचएस), 2017, अनुसूची—I (आयात नीति) के अध्याय 85 की नीतिगत शर्त सं. 6 के रूप में. इलेक्ट्रानिक सिगरेट के आयात हेतु निम्नलिखित आयात नीति को शामिल करती है:

"एचएस कोड: 8543 के तहत इलेक्ट्रानिक सिगरेट (ई—सिगरेट) या उसके किसी भाग या घटक जैसे कि रिफिल पोड्स, एटमाइजर, कार्ट्रिज आदि, जिसमें इलेक्ट्रानिक निकोटिन डिलीवरी सिस्टम्स, हीट नॉट बर्न प्रोडक्ट्स, ई—हुक्का के सभी रूप और इसी प्रकार के डिवाइस चाहे वे किसी भी नाम और आकृति, आकार या रूप के हैं, शामिल हैं परंतु जिसमें औषधि और सौंदर्य प्रसाधन अधिनियम 1940 के तहत लाइसेंस प्राप्त कोई उत्पाद शामिल नहीं है, का आयात इलेक्ट्रानिक सिगरेट (उत्पादन, विनिर्माण, आयात, निर्यात, परिवहन, बिक्री, वितरण, भंडारण और विज्ञापन) निषेध अध्यादेश, 2019 के अनुसार निषद्ध है।

5034 GI/2019 (1)

अधिसूचना का प्रभावः इलेक्ट्रानिक सिगरेट और उसके भागों या घटकों का आयात निषिद्ध किया गया है।

[फा. स. मॉनी. 6872 / एएम01 / पीसी-2(अ)-पी-12364]

आलोक वर्धन चतुर्वेदी, महानिदेशक, विदेश व्यापार एवं पदेन सचिव

टिप्पणीः प्रधान अधिसूचना सं. 36 / 2015—2020, दिनांक 17 जनवरी, 2017 भारत के राजपत्र असाधारण में दिनांक 17 जनवरी, 2017 की सं. का. आ. 172 (अ.) के तहत प्रकाशित की गई थी।

### MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE)

### **NOTIFICATION**

New Delhi, the 26th September, 2019

NO. 20/2015-2020

Subject: Amendment in import policy electronic cigarettes.

**S.O. 3492(E).**—In exercise of powers conferred by Section 3 of FT (D&R) Act, 1992, read with paragraph 1.02 and 2.01 of the Foreign Trade Policy, 2015-2020, as amended from time to time, the Central Government hereby incorporates the following import policy for import of electronic – cigarettes under HS Code:8543 and under Para 13 of General Notes regarding Import Policy and as policy condition No. 6 of Chapter 85 of ITC (HS), 2017, Schedule – I (Import Policy:

"Import of electronic cigarettes (e-cigarettes) or any parts or components thereof such as refill pods, atomisers, cartridges etc, including all forms of Electronic Nicotine Delivery Systems, Heat Not Burn Products, e-Hookah and the like devices by whatever name and shape, size or form it may have, but does not include any product licenced under the Drugs and Cosmetics Act, 1940, under HS Code: 8543 is Prohibited in accordance with the Prohibition of Electronic Cigarettes (Production, Manufacture, Import, Exports, Transport, Sale, Distribution, Storage and Advertisement) Ordinance, 2019.

**Effect of the Notification:** Import of electronic cigarettes and parts or components thereof is prohibited.

[F.No. Mon-6872/AM01/PC-2 (A)-P-12364] ALOK VARDHAN CHATURVEDI, Director General of Foreign Trade & Ex-Officio Secy.

**Note:** The principal notification No. 36/2015-2020, dated the 17th January, 2017 was published in the Gazette of India, Extraordinary vide number S.O. 172 (E), dated the 17th January, 2017.